न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 57/2016

1– रामकरण राम पुत्र ईशवराराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, लाडनूं तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र जानूं अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर एल आर एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2016 नायब तहसीलदार निम्बी जोधा तहसील लाडनूं (नागौर) वाद संख्या 02/16 बअनुवान सरकार बनाम भुराराम में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक:31.08.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 02/2016 बअनुवान सरकार बनाम भूराराम में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2016 के विरूद्ध पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर अप्रार्थी भूराराम पुत्र श्री रामकरण जाट निवासी सुनारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर बेदखल किया गया है जिसकी अपील रामकरण पुत्र ईश्वराराम जाट निवासी सुनारी ने पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पुत्र के खिलाफ उक्त निर्णय दिया है। अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

का खातेदारी का खेत ख0नं0 443 रकबा 14.04 बीघा व खसरा नम्बर 492 रकबा 4.02 बीघा है जो ख0 नं0 489 व 432 की सीमाएं पास पास है और अपीलार्थी स्वंय अपनी खातेदारी के खेत में बनी ढाणी में निवास करता है और उक्त अपीलार्थी के खातेदारो के खेत में टयूबवैल बनी हुई है व पक्के मकान निर्माण आदि अपनी सीमा में बने हुए हैं जिसमें अपीलार्थी निवास करता है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होते हुए यह अपील पेश की है तथा इस बाबत अनुमति लेने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। चूंकि न्यायालय हाजा में अपील 17.10.2016में दर्ज कर आगे सुनवाई की गयी है। अतः अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होते हुए भी अपील पेश करने की अनुमति मानते हुए, इस प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आडिंट ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम ओडिंट के खसरा नम्बर 489 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै0मु0 अंगौर व खसरा नं0 432 रकबा 0.15 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अपीलार्थी/प्रार्थी ने बाड़ा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा ओडिंट के खसरा नम्बर 489 रकबा 0.18 बीघा किस्म गैर मु0 अगौर भूमि पर व खसरा नं0 432 रकबा 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा मौजा ओडिंट के खसरा नम्बर 489 रकबा 0.18 बीघा किस्म गैर मु0 अगौर भूमि पर व खसरा नं0 432 रकबा 0.15 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन अंगौर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.30 रूपये का 50 गुना से जुर्माना रूपये 25/– अक्षरे पच्चीस रूपये जुर्माना व भौतिक रूप से बेदखली करने आदि के आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किये गये।

{3}–अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:–

{3}(1)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का नोटिस आदि नहीं दिया गया ळे तथा अपीलार्थी के पुत्र के खिलाफ उक्त निर्णय दिया गया है। अपीलार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 443 रकबा 14.04 बीघा व खसरा नम्बर 492 रकबा 4.02 बीघा है जो खसरा नम्बर 489 व 432 की सीमाएं पास पास है और अपीलार्थी स्वयं अपनी खातेदारी के ेत में अनी ढाणी में निवास करता है और उक्त अपीलार्थी के खातेदारी के खेत में टुबेल बनी हुई है व पक्के मकान का निर्माण आदि अपनी सीमा में बने हुए है जो काफी वर्षो पुराने बने हुए है जिससे अपीलार्थी निवास करता है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील मौके की स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से अव अपीलान्ट का खसरा नम्बर 489 रकबा 0.18 बीघा व खसरा नम्बरा 432 भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है उक्त रास्ता अपीलार्थी की दक्षिणी सींव की सीमा के पास से हो कर गुजरता है जो काफी वर्षो से चला आ रहा है और ग्राम पंचायत ओटिट के द्वारा करीबन 10–15 वर्ष पूर्व ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया था जो युक्तियुक्त व मौके पर चले आ रहे पुराने रास्ते पर हरी सड़क का निर्माण किया गया न की राजस्व रिकोर्ड के अनुसार है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं सहादत का अवसर दिये एवं मौके पर नाप चौप किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोस्टि की तामिल करवाये ही जल्द बाजी में निर्णय दिया गया है अराद्यैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को बिना नोटिस की तामिल करवाये ही जल्द बाजी में निर्णय दिया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को जारी नही कर अपीलार्थी के पुत्र के नाम दिनांक 02.05.2016 को नोटिस वास्ते तामिल जारी किया गया परन्तु नोटिस तामिल नहीं होने के कारण पुनः 21.05.2016को नोटिस जारी किये गये और दिनांक 18.7.2016 को अपीलार्थी के पुत्र को इतला करना बताया गया है और दिनांक 18.07.2016 की ऑडर शीट (आदेशिका) में अपीलार्थी को नोटिस तामिल होने के बावजुद अनुपस्थित बताते हुए एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और बिना सुनवाई व बिना सूचना के अपीलार्थी के विरूद्ध जो निर्णय पारित किया है जो विधि के नैसंर्गिक सिद्धान्तों के पूर्णतः प्रतिकूल है तथा प्रकरण में पीलान्ट का पक्ष सुने बिना व किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो पोषणीय नहीं होने से व विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किया गया,नाप चौक की रिपोर्ट पर किसी भी काश्कारो के हस्ताक्षर आदि अपनी रिर्पोट में नहीं पटवारी हल्का ने इस सम्न्ध में अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना आदि नहीं दी गई थी, केवल और केवल राजनैतिक दबाव के कारण चलते ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा, गलत व अनुचित रिर्पोट ओीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी और उस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बीना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बीना ही जो अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है वा खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(5) – यह है कि खसरा नं0489 गै0मु0अंगौर की भूमि है तथा खसरा नं0 489 की सीमाओ के चारा और करीबन 8–10 काश्तकारो की सीमाए लगती है उक्त खसरे पर सरकारी मकान बने हुए हे और कई रास्ते वर्तमान में सुचारू रूप से चालु है ऐसी स्थिति में जो नाप चौक किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। ऐसी पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य मौजूद नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने, पटवारी हल्का ने जो राजनैतिक दवाब में आ कर अपीलार्थी के विरूद्ध बिना नाप चौक कर गलत व अनुचित रिर्पोट पेश की गई जो, विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध जो निर्णय पारित किया गया है वा खारिज होने योग्य है।

{3}(6) – यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई प्रमाणित साक्ष्य नही थी जिससे यह विश्वास किया जा सके कि अपीलान्ट ने अतिकमण कर रखा हो । बिना साय के इन तथ्यों का (विवादक तथ्यों का) निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इन सभी तथ्यो के अभाव में जो जल्दबाजी में व बिना पूर्ण विवेक का इस्तेमाल किये तथा पत्रावली पर प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायाय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह खारिज होने योग्य है।

{4}– अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 17.10.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 17.10.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार लाडनूं को एक पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु पत्र लिखा गया तथा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 15.11.16 को प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/247 दिनांक 13.06.2017 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। प्रार्थी गोरधन राम पुत्र पुसाराम जाति नायक निवासी ओडिंट ने मय अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का पेश कर प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिए निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया है। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा जाहीर किया कि प्रार्थी गोरधन राम पुत्र पुसा राम इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हित नही है उसका प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि गै0मु0 अंगौर की राजकीय भूमि होने से प्रार्थी का इस प्रकरण में कोई हित व अधिकार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं होने से खारिज किया गया।

{5}-- प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है।अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 17.10.2016 को इस न्यायालय में पेश की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.7.2016 को ही हो गया था। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि इसकी जानकारी उसको नकले दिनांक 22.09.2016 को लेने से हुई। अतः नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपीलान्ट ने नकल प्राप्त करने की दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अपील न्यायालय में पेश कर दी गयी। अतः अपीलान्ट की अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाने के आदेश दिये जाते है।

{6} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किये गये परन्तु अप्रार्थी को किसी प्रकार का उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2016 को खारीज करने का निवेदन किया है तथा अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी के मकान व दिवारे बनी हुई है जो काफी पुरानी करीबन 50–60 साल पुरानी है तथा अप्रार्थी का अपना खेत है जिसमें पानी की टुबेल बनी है जिसके चारों और तारों की बाड़ है अपीलान्ट/अप्रार्थी का राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ हैं ।अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज करने का निवेदन किया है।

{7} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का ओडिंट की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम ओडिंट के खसरा नम्बर 489 रकबा 0.18 बीघा किस्म गैर मु0 अगौर भूमि पर व खसरा नं0 432 रकबा 0.15 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। नोटिस लेने से मना करने पर दो मौतबीर व्यक्तियो के हस्ताक्षर तामील कुनिन्दा ने करवाये है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 489 रकबा 0.18 बीघा किस्म गैर मु0 अगौर भूमि है। इस प्रकार की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण गंभीर विषयक प्रकृति का है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार यह प्रतिबन्धित भूमि है। तथा खसरा नं0432 रकबा 0.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (vi) के अनुसार कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। गै0 मु0 रास्ते की भूमि सार्वजनिक आवागमन होता है। गावों में लोग इन रास्तों से अपने खेतों पर आना जाना, मवेशी ले जाना उनको वापस लाना तथा खेती की उपज, घास इत्यादि को लाना ले जाना करते है। अगर रास्ता बन्द होता है तो इन पर विपरित प्रभाव पडता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अगर कब्जा पुराना है तो अपीलान्ट को अलग से कार्यवाही करनी होगी। हस्तगत प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश :::

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)